Phone no. 02932-220440 Email : deosecpalj.estb@gmail.com

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली

क्रमांकः शिविपा/मा/संस्था–1/ए/प्र.शा.स.–III/सी.भ./2016/17/**1152** दिनांकः **19 जून 2018**

–:: कार्यालय आदेश ::–

श्रीमान् निदेशक, मा.शि. राज. बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/प्रयोगशाला सहायक–ग्रेड।।।/सी.भ./2016 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रंखला प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा–2016 में चयनित/अभिस्तावित संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–।।। के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु पाली जिला आवंटित कर इस कार्यालय को सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप उक्त अभ्यर्थीगण को **तृतीय वेतन श्रंखला प्रयोगशाला सहायक** के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विधालय में स्पष्ट रिक्त पद राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल–**08** में परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर नियमानुसार देय **नियत स्थिर मानदेय 18500/–** (पूर्व में सेवारत होने स्थिति में विधमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांकः प.8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांकः प.17 (8) शिक्षा–2/2015 दिनांक 19.12.2017 द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशानुसार परामर्श शिविर आयोजित कर की गई हैं।

क्र. सं.	रोल नम्बर	मेरिट न0	नाम अभ्यर्थी/पिता का नाम मय पता	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	ब्लॉक	पदस्थापन स्थान	नवीनतम् फोटो
1	408014	1244	**SOMA RAM / ARJUN RAM** ग्रा.पो. चिडि मोटाई,तह.फलौदी जोधपुर।	20/08/1993	OBC Non Creamy	OBCM	सुमेरपुर	राउमावि पालडी जोड	
2	498549	1276	**SHIVRATAN BHADU / SHARWAN RAM** प्लॉट नं. 29,जोधपुर–बीकानेर बाईपास, श्रीराम कॉलोनी, नागौर।	01/03/1997	OBC Non Creamy	OBCM	जैतारण	राउमावि जैतारण	
3	538991	1277	**SOHAN LAL VISHNOI / BABU LAL VISHNOI** ग्रा.पो. खिचडों का वास,पोस्ट बंद, जिला–बाडमेर।	06/04/1991	OBC Non Creamy	OBCM	बाली	राउमावि लुणावा	
4	459707	1302	**JITENDRA KUMAR / OM PRAKASH VAISHNAV** ग्रा.पो. पगारा, तह. पीसांगन, जिला–अजमेर।	20/12/1992	OBC Non Creamy	OBCM	बाली	राउमावि बारवा	
5	532535	1305	**KISHNA RAM / DAULA RAM** ग्रा.पो. खिचडों का वास,पोस्ट बंद, जिला–बाडमेर।	15/08/1993	OBC Non Creamy	OBCM	रानी	राउमावि निपल	
6	458520	2998	**MAHENDRA KUMAR / KALA RAM** रामदेव मंदिर के पास,गांव–केसरपुरा,तह.शिवगंज,जिला–सिरोही	16/10/1985	ST	STM	बाली	राउमावि बीजापुर	
7	463374	3031	**NEERAJ KUMAR MEENA / SHAITAN SINGH MEENA** जालमपुरा, तह. जहाजपुर जिला–भीलवाडा	11/10/1994	ST	STM	रायपुर	राउमावि चांग	
8	511247	3034	**NAND LAL MEENA / SHARWAN LAL MEENA** प्लॉट नं.45,राम विहार विस्तार कॉलोनी, बी.पी.एल. गोदाम, गोनेर रोड, जयपुर।	11/09/1995	ST	STM	देसूरी	राउमावि दादाई	

सम्बंधित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें :–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना एफ.7(1) डीओपी/ए–II/95 दि.08.04.2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10/– के नॉन–ज्यूडिशिअल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष हैं, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई हैं, उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं के वैध व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही हैं। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी से 10/– के नॉन–ज्यूडिशिअल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्यतः प्राप्त किया जावे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर से अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पायी जाती हैं, तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्यधीन होगी एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा एवं ऐसी नियुक्ति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही इन्हे कार्यग्रहण करावें। मूल दस्तावेजों से सत्यापन में कोई भिन्नता पाई जाने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं उसके सम्बंध में विस्तृत स्पष्ट टिप्पणी सहित इस कार्यालय को सूचना तत्काल भिजवाई जावें।
5. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम् मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति की नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अथवा अभ्यर्थी क्रिमीलेयर श्रेणी में होने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बंध में विस्तृत स्पष्ट टिप्पणी सहित इस कार्यालय को सूचना तत्काल भिजवाई जावें। **उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाणपत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण करवाया जावे।**
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करे जिसका आवेदन पत्र पर छायाचित्र चस्पा हैं।
7. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एकलपीठ रिट याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन की गई हैं। अतः सम्बंधित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व उक्त आशय का शपथ पत्र 10/– के नॉन–ज्यूडिशिअल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्यतः प्राप्त किया जावे।
8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता,आयु एवं आरक्षण सम्बंधी दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर ली जावें।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्यतः लिया जावे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं एवं इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने की स्थिति में उनकी यह नियुक्ति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकःप.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दि.04.10.13 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
11. आशार्थी के विधवा/तलाकशुदा महिला होने पर उनसे सम्बंधित प्रमाण पत्र यथा न्यायालय की डीक्री, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने सम्बंधी शपथ पत्र लिये जाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावें।

सम्बंधित अभ्यर्थी को पदस्थापित स्थान पर दि. **30.06.2018** तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण करना होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। सम्बंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना से इस कार्यालय को तत्काल अवगति सुनिश्चित करेगें एवं शालादर्पण पोर्टल पर इनकी सूचना शीघ्र ही अपडेट करेगें।

19/6/2018

(पन्नालाल अहीर)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) पाली

क्रमांकः शिविपा/मा/संस्था–1/ए/प्र.शा.स.–III/सी.भ./2016/17/**1153–61** दिनांकः **19 जून 2018**

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–</u>

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज. जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पाली।
8. सम्बंधित संस्थाप्रधान...
9. सम्बंधित आशार्थी..गृह पते पर **पंजीकृत** डाक द्वारा।
10. रक्षक पंजिका।

19/6/2018

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) पाली

Anuj Dave
C:\Desktop\Lab Ast. Appointment-2016\Lab-2016 Appointment order.doc